

कार्यालय निर्वाचन पदाधिकारी,  
बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिहार-झारखण्ड)  
बिस्कोमान टावर, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800001  
(मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 2002 के अधीन निबंधित)

पत्रांक 1380/M-767

दिनांक 14-09-2021

प्रेषक,

कुमार शान्त रक्षित,  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना

—सह—

निर्वाचन पदाधिकारी,  
बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड,  
बिस्कोमान भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800 001

सेवा में,

सभी प्रतिनिधि (निर्वाचित)  
बिस्कोमान (बिहार एवं झारखंड)

विषय: बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड के निदेशक पर्वद के निर्वाचन कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड के निदेशक पर्वद की बैठक दिनांक-23.07.2021 को पारित प्रस्ताव संख्या-23 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के पत्रांक 1380, दिनांक-13.09.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी को मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीज रूल्स, 2002 के नियम-19 के अन्तर्गत निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं कुमार शान्त रक्षित, विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना-सह-निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड सूचित करता हूँ कि बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड के निदेशक मंडल में रिक्त हुए एक निदेशक (एसटी/ओबीसी संवर्ग से) का निर्वाचन दिनांक-29.09.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से बिस्कोमान भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-800 001 में आहूत सामान्य निकाय की वार्षिक आम सभा में होना निश्चित है।

मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीज अधिनियम, 2002 के तहत निबंधित बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिस्कोमान भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना-1, के निदेशक पर्वद का निर्वाचन दिनांक-09.06.2019 को हुआ था। निर्वाचित निदेशकों में से एक निदेशक की मृत्यु दिनांक-10.10.2020 को हो जाने के कारण एक निदेशक का पद रिक्त हो गया। बिस्कोमान की उपविधियों की उपविधि-26 (i) के अनुसार निदेशक मंडल में रिक्त निदेशक का पद अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (ST/OBC) के लिए आरक्षित है, जो "A" वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों निर्वाचन के उपरांत से भरा जाना है।

इस प्रकार निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार है:-

| क्रम | पद का नाम | संख्या | अभियुक्ति |
|------|-----------|--------|-----------|
| 1.   | निदेशक    | 01     | ST/OBC    |
|      | कुल       | 01     |           |

मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीज रूल्स, 2002 की धारा-19 (1) एवं 19 (2) के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार 01 निदेशक का निर्वाचन सामान्य निकाय की बैठक में होगा। एतदर्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गए हैं:-

### निर्वाचन संबंधी निर्धारित कार्यक्रम

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                               | तिथि       | समय                                             | स्थान                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | मतदाता सूची का प्रकाशन                                  | 15.09.2021 | 10.00 बजे<br>पूर्वाह्न                          | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय के सूचना पट्ट पर।    |
| 2.      | मतदाता सूची पर आपत्ति                                   | 23.09.2021 | 11.00 बजे<br>पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक। | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय में।              |
| 3       | मतदाता सूची पर आपत्ति का निष्पादन                       | 23.09.2021 | 03:30 बजे<br>अपराह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक।    | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय में।              |
| 4.      | अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन                            | 23.09.2021 | 6:00 बजे<br>अपराह्न में।                        | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय के सूचना पट्ट पर।    |
| 1.      | नामांकन की तिथि                                         | 27.09.2021 | 11.00 बजे<br>पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक। | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय में।              |
| 2.      | नामांकन पत्रों की संवीक्षा                              | 27.09.2021 | 01.30 बजे<br>अपराह्न से 2:30 बजे अपराह्न तक।    | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिम गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय के सूचना पट्ट पर।  |
| 3.      | विधिमान्य नामांकन सूची का प्रदर्शन                      | 27.09.2021 | 03.00 बजे<br>अपराह्न में।                       | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय के सूचना पट्ट पर।    |
| 4.      | नामांकन वापसी                                           | 27.09.2021 | 03.00 बजे<br>अपराह्न से 05:30 बजे अपराह्न तक।   | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय में।              |
| 5.      | नामांकन वापसी के उपरान्त अंतिम नामांकन सूची का प्रदर्शन | 27.09.2021 | 06.00 बजे<br>अपराह्न में।                       | बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के छठे तल पर अवस्थित बिस्कोमान कार्यालय के सूचना पट्ट पर। |
| 6.      | सामान्य निकाय की वार्षिक आम सभा-सह-निर्वाचन             |            |                                                 | बिस्कोमान भवन, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना के सभागार में।                                             |

|                                      |            |                                         |  |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|
| (i) मतदान (यदि आवश्यक हो)            | 29.09.2021 | 1 बजे अपराह्न से 05.30 बजे अपराह्न तक।  |  |
| (ii) मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा | 29.09.2021 | 06.00 बजे अपराह्न से मतगणना समाप्ति तक। |  |

**निदेशक मंडल के सदस्य होने के लिए अनर्हता (Disqualification):-**

मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की धारा-43 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत अनर्हता (Disqualification) रखने वाले प्रतिनिधि नामांकन/निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे।

**प्रतिनिधियों के लिए सामान्य निर्देश:-**

निर्वाचित प्रतिनिधि अपने साथ निम्नलिखित अभिलेख अवश्य लावें, अन्यथा वे आम सभा -सह-निर्वाचन में भाग लेने से वंचित कर दिये जायेंगे-

- आधार कार्ड
- डेलिगेट/प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के साक्ष्य स्वरूप निर्वाचन-प्रमाण-पत्र।
- आरक्षित श्रेणी का दावा हेतु जाति प्रमाण-पत्र।

अतः बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं के झारखंड प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे ऊपर वर्णित कार्यक्रमानुसार वार्षिक आमसभा-सह-निर्वाचन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

14/9/21

(कुमार शान्त रक्षित)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना

-सह-

निर्वाचन पदाधिकारी,

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान), बिहार एवं झारखंड, पटना।

(कुमार शान्त रक्षित)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना

-सह-

निर्वाची पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना